

Order No:-42L/2021-22



केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु०)  
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)**  
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.  
Tel.: 011-2695168, 8860748880  
Email- mpquota@kvs.gov.in  
Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक-09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Sisir Kumar Adhikari** के द्वारा के०वि०सं कूपन संख्या. **498** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गतसत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	SAKLIN SAMAL	SANJAY KUMAR SAMAL MOB - 7008908635, 8917468724	6	IIT KHARAGPUR
2	CHHANDANGSHI DAS	BIBUKASH DAS MOB - 9732668545, 9434494595	2	IOC HALDIA
3	SINJAN DAS	SAMIT DAS MOB - 9083137204	6	IOC HALDIA
4	RAJIT SASMAL	RAJKUMAR SASMAL MOB - 9732867016	5	IIT KHARAGPUR
5	ARIN DAS	ATANU KUMAR DAS MOB - 7478956285	1	IOC HALDIA
6	SUPRATIM MAITY	SUKUMAR MAITY MOB - 9557023116	4	IIT KHARAGPUR
7	ADRIJ SAHA	PROTYUSH SAHA MOB - 9775001323	1	NO.2 KHARAGPUR
8	SAGNIK GHOSH	TAPAN KUMAR GHOSH MOB - 9732580423	5	NO.2 KHARAGPUR
9	ANUSHKA DAS	KARTICK DAS MOB - 8250340082	1	IIT KHARAGPUR
10	CHILD NAME IS NOT RECOMMENDED BY HON'BLE MP			

क० पू० उ०

*(Handwritten signature)*


निर्देश:-

(i) विद्यार्थी, अन्यथा के० वि० सं० की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।

(ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।

(iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

(iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)  
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Sisir Kumar Adhikari माननीय संसद सदस्य को ई० मेल से सादर सूचनार्थी
2. उपायुक्त, केविसं, **KOLKATA** संभाग को सूचनार्थी। (ई० मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई० मेल)